रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 6, 1995/पौष 16, 1916
No. 16] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 6, 1995/PAUSA 16, 1916

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1995

का.आ. 16(अ).—केन्द्र सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन रोहतक कृषा ट्रेडिंग कम्पनी लि., रोहतक द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त कम्पनी को गुड़ में अग्रिम संविदाओं के बारे में 6 जनवरी, 1995 से 5 जुलाई, 1995 (दोनों दिन शामिल हैं) तक छः और महीनों के लिए मान्यता प्रदान करती है ।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अध्याधीन है कि उक्त कम्पनी ऐसे निदेशों का पालन करेगी जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएं।

[मि.सं. 12/20/आई.टी./93]
कमल किशोर, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 1995

S.O. 16(E).—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition, made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Rohtak Krishna Trading Co. Ltd., Rohtak and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby, grants in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Company for a further period of 6 months from the 6th January, 1995 to 5th July, 1995 (both days inclusive) in respect of forward contracts in gur.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may, from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12|20|IT|93]
KAMAL KISHORE, Economic Adviser

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995